

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/  
प्रार्थी

बनाम

691

अप्रार्थीगण

दिनांक - 16.3.20

1 खुदाबक्स पुत्र कवरसी जाति  
मुसलमान निवासी रोहिली  
तहसील व जिला बाड़मेर।

1 पूनमसिंह 2 भूरसिंह पिसरान धर्मसिंह 3 शैतानसिंह  
पुत्र प्रभूसिंह जाति रावणा राजपूत 4 दीपाराम पुत्र  
मगाराम 5 मूलाराम 6 मानाराम पिसरान हिमथाराम  
जाति जाट 7 बरकत पुत्र वरीयम जाति मुसलमान  
निवासी रोहिली तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 381/2019 दिनांक-

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रोहिली पटवार क्षेत्र कपूरडी तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 744/172 रकबा 56.18 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2020/ 692-695  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक- 16.3.20

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कपूरडी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. खुदाबक्स पुत्र कवरसी जाति मुसलमान निवासी रोहिली तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी पूनमसिंह पुत्र प्रभूसिंह वगैराह जाति रावणा राजपूत निवासी रोहिली तहसील व जिला बाड़मेर।

(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर